क्रमांक- 14

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 17 फरवरी, 2026 (माघ 28, 1947)

लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम.

दिनांक 17 फरवरी, 2026 को सदन में की गई घोषणानुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा की लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए ग्यारह-ग्यारह सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं;

2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026 को मध्याह्न 12.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- 6 में होगी;

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 को अपराह्न 5.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है;

4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान गुरुवार, दिनांक 5 मार्च, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा;

5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.

नाम-निर्देशन प्रपत्र व नाम वापसी के प्रपत्र

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र की प्रतियां विधान सभा भवन, भोपाल स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.